निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 841) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-25/2026-3315 वि०स०—''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–21 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-17/2026]

बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (1916 के अधिनियम–2) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ। –

(1) इस अधिनियम को बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह बिहार राज्य के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।

(3) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. धारा–2(c) का प्रतिस्थापन।– बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (जिसे इस अधिनियम में आगे मुख्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (c) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(c) "पंजीकृत चिकित्सक" अभिव्यक्ति का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति है, और इसमें कोई भी चिकित्सा व्यवसायी शामिल है जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या भारत के किसी अन्य राज्य के राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, और जिसने राज्य में प्रैक्टिस के लिए स्व–प्रमाणन प्रस्तुत किया है।"

3. धारा–2(d) का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 2 में उपधारा (c) के बाद निम्नलिखित उपधारा (d) अंतःस्थापित की जायेगी:–

(d) "स्व–प्रमाणन का अर्थ है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।"

4. नई धारा–17A का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी:–

"17A. **स्व–प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान।**

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी चिकित्सक जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, बिहार राज्य में चिकित्सा का प्रैक्टिस करने का हकदार होगा, बिना नए स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्त्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता के, बशर्ते कि वह परिषद को स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करे।

(2) परिषद स्व–प्रमाणन के आधार पर राज्य में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाएगी।

(3) परिषद को स्व–प्रमाणन मॉडल के तहत कार्यरत किसी भी चिकित्सक के पेशेवर कदाचार का दोषी पाए जाने पर बिहार राज्य में प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा। ऐसा निलंबन इस धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(4) इस धारा के स्व–प्रमाणन प्रावधानों के तहत राज्य में विधिवत प्रैक्टिस करने वाले किसी भी चिकित्सा व्यवसायी को इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 31 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत व्यवसायी माना जाएगा।"

5. धारा–33 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में, विद्यमान प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा:–

"(ड.) किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र, प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित होगी।"

6. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (अध्यादेश सं0–03, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना, 2024 के दूसरे चरण के प्राथमिकता क्षेत्र 19 (पीए–19) के अंतर्गत नीतिगत सुधारों को अनिवार्य किया है।

इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) या अपने पिछले राज्य से पूर्व अनुमति के अभ्यास करने की अनुमति दिये जाने हेतु कार्रवाई की जानी है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इस प्रयोजनार्थ बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है।

(निशांत)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–21.07.2026

प्रभारी सचिव,
बिहार विधन सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 841-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in